न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर

बअदालत :– संजीव कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 87/2020

1. सहीराम पुत्र गोविन्दराम जाति जाट निवासी डेलाना छोटा तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर।

– वादी –

–बनाम–

1. सन्तलाल पुत्र श्रीराम जाति कुम्हार निवासी उकड़ा तहसील व जिला सिरसा।
2. रोशनी पत्नि सुरेन्द्रकुमार जाति कुम्हार निवासी शिवमंदिर गली मैला मैदान सिरसा।
3. जयपाल पुत्र पृथ्वीराज पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी निमला तहसील एलनाबाद जिला सिरसा
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लूनकरनसर।

– प्रतिवादीगण –

दावा अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.एक्ट. 1955 एवं धारा 131 व 136 एलआरएक्ट

उपस्थित :–

1. श्री नेतराम सियाग वादी की ओर से ।
2. प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 की ओर से श्री रामकरण मूण्ड
3. पैरोकारराज राज्य की ओर से।

दिनांक :– 17/10/2023

–:निर्णय:–

1. संक्षेप में वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ग्राम डेलाना छोटा तहसील लूनकरनसर के निवासी है। पेशे से काश्तकार एवं कानून मे विश्वास रखने वाला व्यक्ति है। वादी की संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा रोही डेलाना छोटा के खेत पुराना खसरा नम्बर 193 तादादी 154.10 बीघा खातेदारी भूमि स्थित थी जिस पर सभी काश्तकारों को घरेलू बंटवारे के मुताबिक कब्जाकाश्त था उसी अनुसार आज कब्जाकाश्त है। खसरा नम्बर 193 तादादी 154.10 बीघा खातेदारी भूमि को जरिये खाता विभाजन तहसीलदार लूनकरनसर के समक्ष खातेदारों की सहमति से दिनांक 30.07.1999 को अपने कब्जे काश्त के अनुसार खाता विभाजन करवाया गया। जो खसरा नम्बर 193 में 38.02 बीघा भूमि खातेदारी ओमप्रकाश, हंसराज, लिछमणराम, मदनलाल पि0 मामराज, पेमी बैवाह लालचन्द, अनोप, सकीला, विद्या पि0 लालचन्द को दी गई। खातेदार पुरखाराम को खसरा नम्बर 193 में 47.03 बीघा भूमि दी गई। खातेदार सहीराम को खसरा नम्बर 193 मे 55.07 बीघा, भूमि दी गई एवं खातेदार मनीराम को खसरा नम्बर 193 मे 13.18 बीघा भूमि दी गई उसी मुताबिक कब्जाकाश्त चला आ रहा है। लूनकरनसर तहसील मे सन् 2009 से 2011 तक भू प्रबन्ध विभाग की कार्यवाही चली, भू प्रबन्ध विभाग ने पुराने खसरा नम्बर 193 के नये खसरा नम्बर 228 में 14.0 हैक्टेयर वादी के नाम से खसरा नम्बर 193 के नये खसरा नम्बर 425/267 मे 4.83 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से खसरा नम्बर 193 के नये खसरा नम्बर 424/267 मे 4.81 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने उक्त भूमि जरिये बैनामा खातेदार ओमप्रकाश वगैरह के नाम से भूमि को खरीद की गई।

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

जिस स्थान पर खातेदार का कब्जा था उसी स्थान पर विक्रेतागण ने क्रेतागण को कब्जा दिया गया। भू– प्रबन्ध विभाग द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर एवं मौका के विपरीत जाकर वादी की खातेदारी कब्जेशुदा भूमि को प्रतिवादीगण के नाम से नक्शे मे गलत तरमीम कर दी गई किन्तु ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था ना ही किसी न्यायालय का आदेश था इस कारण कब्जे के विपरीत जाकर तरमीम निरस्त करवाने का हकदार है। दिनांक 10.06.2020 को वादी अपने खेत की रखवाली कर रहा था तब प्रतिवादीगण अन्य व्यक्तियो के साथ वादगत भूमि की पूर्वी सींव पर आकर कहा कि उक्त भूमि पर कब्जा करेंगे क्योंकि प्रतिवादीगण ने कहा कि नक्शे मे उक्त भूमि हमनें तरमीम करवा ली है। इस कारण हम वादगत भूमि पर कब्जा करेंगे वादी द्वारा मनाह करने पर प्रतिवादीगण ने कहा कि हम तो ऐसे ही कब्जा करेंगे आप हमारा कुछ नहीं कर सकते इसी तारीख को वाद कारण हासिल हुआ। वादी कोा वादगत भूमि से बेदखल करने की धमकी देने से चिरस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त हुई। यही दिनांक विनाय दावा एवं विनाय मुखास्मत है। वकील वादी द्वारा मौजा रोही डेलाना छोटा के पुराने खसरा नम्बर 193 जिसके नये खसरा नम्बर 228 तादादी 14.0 हैक्टेयर बनाये गए। वादी अपने पुराने खातेदारी भूमि एवं कब्जे काश्त के अनुसार घोषणा कराने के हकदार है। पुराने खसरा नम्बर 193 जिसके नये खसरा नम्बर 425/267 तादादी 4.83 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 424/267 मे 4.81 हैक्टेयर भूमि को भू प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत फिट की गई किन्तु कब्जे के विपरीत व बिना मौके की जांच किए बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के तरमीम की गई इस कारण उक्त तरमीम को वादी अपने हको की घोषणा कराते हुए निरस्त करने का हकदार है। अतः तरमीम निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 को लेण्ड हॉल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है सरकार के खिलाफ किसी प्रकार की कोई रिलीफ नहीं चाही गई हैं।

2. प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 4 की ओर पैरोकार राज स्वयं हाजिर हुवे । प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को समन भेजे गए जिसके पश्चात् प्रतिवादी 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता रामकरण मूण्ड द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र 1 नियम 10 सीपीसी एवं सह पठित धारा 151 सीपीसी पेश जिसे स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 के स्थान पर भूमि मे हितबध आवश्यक पक्षकार को प्रतिवादी संख्या 2 के स्थान पर लेने के आदेश दिए गए। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया जिसमे जरिये जवाब वाद पत्र के तथ्यो को खारिज किया गया। इसके उपरान्त प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा जरिये शपथ पत्र वादपत्र के तथ्यो को स्वीकार करते हुए वाद स्वीकार कर डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया गया कि भू प्रबन्ध विभाग ने कब्जा काश्त अनुसार तरमीम नहीं की है कब्जाकाश्त के अनुसार तरमीम की जावे। प्रतिवादी पुराने कब्जेकाश्त अनुसार तरमीम करवाने को तैयार है। ओमप्रकाश पुत्र मामराज जाति जाट निवासी डेलाना छोटा तहसील लूनकरनसर द्वारा जरिये शपथ पत्र निवेदन किया गया की उक्त भूमि का सहमति से खाता विभाजन करवाया था जिसका इन्तकाल संख्या 134 चढा या हमारे हिस्से मे खसरा नम्बर 193 मे 38.02 बीघा भूमि आई थी।

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

प्रतिवादीगण का कब्जा पुरखाराम से पश्चिम दिशा मे उक्त सिंव तक हमारे से पश्चिम मे मनीराम, सहीराम का कब्जा था जो नजरी नक्शे मे अंकित किया गया। कब्जे के अनुसार हमने विक्रय की थी एवं नजरी नक्शे के अनुसार कब्जा दिया गया था । भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत तरमीम की गई है इस तरमीम के अनुसार कब्जा नहीं है पुराने खाता विभाजन के अनुसार कब्जाकाश्त है।

3. प्रकरण मे वाद–पत्र मे उल्लेखित तथ्यो को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा स्वीकार किया जाने से तनकीयात की आवश्यकता नहीं है। अतः बहस सुनी गई । उक्त बहस के दौरान वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र के तथ्यों को दौहराते हुवे कहा गया कि ग्राम डेलाना छोटा तहसील लूनकरनसर के निवासी है। पेशे से काश्तकार एवं कानून मे विश्वास रखने वाला व्यक्ति है। वादी की संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा रोही डेलाना छोटा के खेत पुराना खसरा नम्बर 193 तादादी 154.10 बीघा खातेदारी भूमि स्थित थी जिस पर सभी काश्तकारों को घरेलू बंटवारे के मुताबिक कब्जाकाश्त था उसी अनुसार आज कब्जाकाश्त है। खसरा नम्बर 193 तादादी 154.10 बीघा खातेदारी भूमि को जरिये खाता विभाजन तहसीलदार लूनकरनसर के समक्ष खातेदारों की सहमति से दिनांक 30.07.1999 को अपने कब्जे काश्त के अनुसार खाता विभाजन करवाया गया। जो खसरा नम्बर 193 में 38.02 बीघा भूमि खातेदारी ओमप्रकाश, हंसराज, लिछमणराम, मदनलाल पि0 मामराज, पेमी बेवाह लालचन्द, अनोप, सकीला, विद्या पि0 लालचन्द को दी गई। खातेदार पुरखाराम को खसरा नम्बर 193 में 47.03 बीघा भूमि दी गई। खातेदार सहीराम को खसरा नम्बर 193 मे 55.07 बीघा, भूमि दी गई एवं खातेदार मनीराम को खसरा नम्बर 193 मे 13.18 बीघा भूमि दी गई उसी मुताबिक कब्जाकाश्त चला आ रहा है। लूनकरनसर तहसील मे सन् 2009 से 2011 तक भू प्रबन्ध विभाग की कार्यवाही चली, भू प्रबन्ध विभाग ने पुराने खसरा नम्बर 193 के नये खसरा नम्बर 228 में 14.0 हैक्टेयर वादी के नाम से खसरा नम्बर 193 के नये खसरा नम्बर 425/267 मे 4.83 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से खसरा नम्बर 193 के नये खसरा नम्बर 424/267 मे 4.81 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने उक्त भूमि जरिये बैनामा खातेदार ओमप्रकाश वगैरह के नाम से भूमि को खरीद की गई। जिस स्थान पर खातेदार का कब्जा था उसी स्थान पर विक्रेतागण ने क्रेतागण को कब्जा दिया गया। भू– प्रबन्ध विभाग द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर एवं मौका के विपरीत जाकर वादी की खातेदारी कब्जेशुदा भूमि को प्रतिवादीगण के नाम से नक्शे मे गलत तरमीम कर दी गई। अतः उक्त गलत तरमीम को निरस्त कर पुराने विभाजन अनुसार एवं कब्जाकाश्त अनुसार तरमीम के आदेश हेतु निवेदन किया गया। उक्त बहस के जवाब मे प्रतिवादी वकील द्वारा जवाब दावा के तथ्यो को दौहराते हुए वाद–पत्र के तथ्यो को स्वीकार करते हुवे पुनः पुराने कब्जाकाश्त अनुसार तरमीम के आदेश हेतु निवेदन किया गया।

4. उक्त पैरोकार राज द्वारा कहा गया कि उक्त वाद में सरकार के खिलाफ किसी प्रकार की कोई रिलीफ नहीं चाही गई हैं। अतः उक्त बहस के आधार पर निर्णय करने हेतु निवेदन किया ।

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

5. हमने विद्वान उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस का मनन किया एवं पत्रावली का अधोपांत अवलोकन किया । पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं विभाजन नक्शा दिनांक 30.7.1999 अनुसार प्रतिवादीगण की भूमि (पूर्व मे ओमप्रकाश वगै. की भूमि) का कब्जा पुरखाराम से पश्चिम दिशा मे उत्तर सिंव तक प्रतिवादीगण से पश्चिम मे मनीराम एवं सहीराम का कब्जा था जो उक्त नजरी नक्शे मे स्पष्ट रूप से अंकित है। अतः भू प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई तरमीम एवं उक्त विभाजन के दौरान की गई तरमीम मे अन्तर स्पष्ट है। अतः प्रस्तुत शपथ पत्र, दस्तावेज रिकॉर्ड से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा रोही डेलाना छोटा भू प्रबन्ध विभाग ने पुराने खसरा नम्बर 193 के नये खसरा नम्बर 228 में 14.0 हैक्टेयर वादी के नाम से खसरा नम्बर 193 के नये खसरा नम्बर 425/267 मे 4.83 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से, खसरा नम्बर 193 के नये खसरा नम्बर 424/267 मे 4.81 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से की गई तरमीम जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई उक्त भूमि मे भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई तरमीम को निरस्त किया जाकर दिनांक 30.07.1999 खाता विभाजन के समय निर्धारित कब्जाकाश्त अनुसार तरमीम के आदेश दिये जाते है। भूमि पुरानी तरमीम एवं कब्जे काश्त के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती करने की घोषणा की जाती हैं। तदानुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में दिनांक 17/10/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(संजीव कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर

ब इजलास : संजीव कुमार, **आरएएस**

सहीराम **बनाम** सन्तलाल वगै.

दावा अंतर्गत धारा 88,188 आरटीए एवं धारा 131,136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर :– 50/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी **वादी वकील श्री नेतराम सियाग,** मिनजानिब मुदई रामकरण मूण्ड एवं **पैरोकार राज राज्य की ओर से** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि मौजा रोही डेलाना छोटा भू प्रबन्ध विभाग ने पुराने खसरा नम्बर 193 के नये खसरा नम्बर 228 में 14.0 हैक्टेयर वादी के नाम से खसरा नम्बर 193 के नये खसरा नम्बर 425/267 मे 4.83 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से, खसरा नम्बर 193 के नये खसरा नम्बर 424/267 मे 4.81 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से की गई तरमीम जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई उक्त भूमि मे भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई तरमीम को निरस्त किया जाकर दिनांक 30.07.1999 खाता विभाजन के समय निर्धारित कब्जाकाश्त अनुसार तरमीम के आदेश दिये जाते है। अतः उक्त भूमि का पुरानी तरमीम एवं कब्जे काश्त के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती करने की घोषणा की जाती हैं। तहसीलदार लूनकरनसर मुताबिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करें।

नीज ....- ....मुबलिक ....- ....बाबत खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .... -............................ फीस सदी सालाना आज की तारीख से वसूल याबो तक ....-......................... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 17/10/2023 को डिक्री जारी की गई।

(संजीव कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर